covid 19 st

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

प्रेष्य,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेरठ।

संख्या–1156 / एसटी–नगर / कोविड–19, दिनांक– 03 जून, 2020

विषय– माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.5.2020 के अनुपालन में मेरठ न्यायालय के परिसर रेड जोन / कन्टेनमैन्ट जोन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांकित 22.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3–2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 30.05.2020 के कम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या–1382 / 2020 / सीएक्स–3, दिनांक 31.05.2020 द्वारा कोविड–19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में पूर्व से प्रभावी लॉक डाउन दिनांक 01–06–2020 से दिनांक 30–06–2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं।

तत्कम में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय द्वारा पूर्व पारित आदेश संख्या–1465 / ओ0एस0डी0–कैम्प / 2020, दिनांक 21.05.2020 द्वारा दिनांक 18.05.2020 से दो सप्ताह के लिए बढाई गयी लॉक डाउन की अवधि में सम्पूर्ण नगर निगम (नगर निगम वार्ड संख्या–06, 10, 28 एंव 31 को छोडकर) एंव कैन्ट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को कोविड–19 महामारी को रोकने के लिए 'Containment Zone' घोषित करते हुए उक्त अवधि में नगर निगम एंव कैन्ट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत Complete Lock Down पूर्व की भांति लागू रहने के आदेश जारी किए गए थे।

उक्त के कम में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय द्वारा अपने आदेश संख्या–1532 / ओ0एस0डी0–कैम्प / 2020, दिनांक 31.05.2020 के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है कि जनपद मेरठ में प्रतिदिन कोविड–19 की जांच में धनात्मक मामले प्रकाश में आ रहे हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3–2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 30.05.2020 के कम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या–1382 / 2020 / सीएक्स–3, दिनांक 31.05.2020 पर विचार विमर्श कर अन्तिम आदेश पारित किए जायेंगें। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय के उक्त आदेश में सम्पूर्ण नगर निगम एंव कैन्ट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को कोविड–19 महामारी को रोकने के लिए 'Containment Zone' के रूप में रहने की अवधि को अग्रिम आदेशों तक बढाया गया है। उक्त अवधि में नगर निगम एंव कैन्ट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत Complete Lock Down की स्थिति अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी। पूर्व आदेश एंव उक्त आदेश की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

कृपया तदनुसार आख्या सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार तिवारी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

<u>प्रतिलिपि–</u>

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

संख्या 1532/ओ0एस0डी0–कैम्प/2020 दिनांक 31–05–2020

आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3–2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 30–5–2020 के कम में निर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 1382/2020/सीएक्स–3 दिनांक 31–5–2020 द्वारा पूर्व से प्रभावी लॉक डाउन दिनांक 01–06–2020 से 30–06–2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिये गये हैं।

इस कार्यालय द्वारा पूर्व निर्गत आदेश संख्या 1465/ओ0एस0डी0–कैम्प/2020 दिनांक 21–05–2020 द्वारा दिनांक 18–05–2020 से दो सप्ताह के लिए बढ़ाई गयी लाक डाउन की अवधि में सम्पूर्ण नगर निगम (न0नि0 वार्ड संख्या 06,10,28,31 को छोडकर) एवं कैन्ट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को कोविड–19 महामारी को रोकने के लिए Containment Zone घोषित करते हुए उक्त अवधि में नगर निगम एवं कैन्ट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत Complete Lock Down पूर्व की भाँति लागू रहने के आदेश जारी किए गए थे।

जनपद मेरठ में प्रतिदिन कोविड–19 की जाँच में धनात्मक मामले प्रकाश में आ रहे हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3–2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 30–05–2020 के कम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 1382/2020/सीएक्स–3 दिनांक 31–5–2020 पर विचार विमर्श कर अन्तिम आदेश पारित किया जायेंगे। अतः सम्पूर्ण नगर निगम एवं कैन्ट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को कोविड–19 महामारी को रोकने के लिए Containment Zone के रूप में रहने की अवधि को अग्रिम आदेशों तक बढाया जाता है। उक्त अवधि में नगर निगम एवं कैन्ट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत Complete Lock Down की स्थिति अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

31/5/2020
(अनिल ढींगरा)
जिला मजिस्ट्रेट,मेरठ।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

1– मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
3– अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
4– प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
5– आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
6– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
7– समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद मेरठ।
8– पुलिस अधीक्षक–नगर/ग्रामीण क्षेत्र, मेरठ।
9– नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
10– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ।
11– नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
12– प्रभारी कन्ट्रोल रूम, कलक्ट्रेट, एन0आई0सी0, मेरठ।
13– जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।

31/5/2020
(अनिल ढींगरा)
जिला मजिस्ट्रेट,मेरठ।

Scanned with CamScanner

कन्टेनमेन्ट क्षेत्र की सूची (जनपद मेरठ)

क0सं0	कन्टेनमेन्ट क्षेत्र
1	समस्त नगर निगम एवं कैन्टोमेन्ट बोर्ड (नगर निगम वार्ड संख्या 06,10,28,31 को छोडकर)
2	कस्बा सिवाल खास, तहसील सदर मेरठ(थाना जानी)
3	ग्राम नारंगपुर, ब्लाक रोहटा(थाना रोहटा)
4	ग्राम पूठा, (थाना टी0पी0नगर)
5	ग्राम रोहटा, पुराना डाकखाना बडी मस्जिद के पास, बडौत रोड मेरठ(थाना रोहटा)
6	मौहल्ला कस्सावान, सरधना, मेरठ(थाना सरधना)
7	ग्राम जलालपुर, हस्तिनापुर, मेरठ(थाना हस्तिनापुर)
8	नगर पंचायत बहसूमा, जनपद मेरठ (थाना बहसूमा)
9	ग्राम पनवाडी, विकास खण्ड दौराला, मेरठ(थाना दौराला)
10	ग्राम अतराडा, खरखौदा(खरखौदा)